

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 07/12/2015

विषय:-शुल्क प्राप्ति रसीद/टैक्स टोकन के निर्गमन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाला शुल्क प्राप्ति रसीद एवं कर प्रतिक प्राप्त कर लेने के बाद पुनः प्रपत्र हेतु अधियाचना भेजकर पुनः प्रपत्र प्राप्त कर लिया जाता है । किन्तु अधियाचना में यह उल्लेख नहीं रहता है कि पूर्व में दिये गए प्रपत्रों में कितना शेष रह गया है एवं उक्त प्रपत्र से कितनी राशि प्राप्त की गई ।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रपत्रों की आपूर्ति हेतु अधियाचना भेजते समय निम्न प्रपत्र के साथ भंडार पंजी भी संलग्न किया जाय ।

क्र. सं.	प्रपत्र	प्रपत्र निर्गत की तिथि	मुख्यालय द्वारा आपूर्ति प्रपत्र			कार्यालय द्वारा उपयोग किया गया प्रपत्र			सन्निहित राशि	शेष प्रपत्र
			कहाँ से	कहाँ तक	कुल	कहाँ से	कहाँ तक	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शुल्क प्राप्ति रसीद									
2	कर-प्रतीक									
3	भंडार पंजी									

विश्वासभाजन,
afw: 7.12.2015
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।